न्यायालय उपजिलाधिकारी गौरीगंज जनपद अमेठी

वाद संख्या- 90

अंतर्गत धारा 143 ज0 वि0अधि0
ग्राम बेनीपुर बल्देव पर0 अमेठी
तह0गौरीगंज जनपद अमेठी

जगद्गुरू स्वामी कृष्णाचार्य महाविधालय बनाम ग्रामसभा

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। श्रीमती ममता प्रबन्धक जगद्गुरू स्वामी कृष्णाचार्य महाविधालय पूरेइन्छा मिश्र बनी पुर बल्देव पर0 अमेठी तह0गौरीगंज द्वारा ग्राम बेनीपुर बल्देव की गा0 सं0 825/1·238 पर महाविद्यालयका भवन निर्माण व सामग्री एकत्रित है। कृषि कार्य से भिन्नप्रयोजन हो रहा है। इसलिए उसे अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की याचना किया है।वाद दर्ज करके ग्रामसभा/ राज्य सरकार को नोटिस निर्गत की गयी जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है ।

तहसील से स्थलीय आख्या ली गयी । हल्कालेखपाल / रा0नि0 की आख्या दि0 23-3-13 व वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि उक्त संस्था के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। कोई कृषिक कार्य नही होता है। इस प्रकार उक्त भूमि कृषि प्रयोजन से भिन्न अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का औचित्य सृजित है। कोई विधिक बाधा नही है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक मे ग्राम बेनीपुर बल्देव परगना अमेठी तहसील गौरीगंज की खतौनी आकारपत्र 23 के खाता सं0 73 पर अंकित गाटासंख्या [illegible] 825/1 रकबा1·121 व 825/2 रकबा 0·030 व 825/3 रकबा0·050 कुल 3 किता रकबा 1·201 मा0 गु0 112·10 रू0 खातेदार जगद्गुरू स्वामी कृष्णाचार्य महाविधालय पूरे इन्छा मिश्र बेनीपुर -बल्देव द्वारा प्रबन्धक श्रीमती ममता पं0 बद्री प्रसाद रामरूपती मिश्र शैक्षिक संस्थान पूरे इन्छा मिश्र बेनीपुर बल्देव को कृषि प्रयोजन से भिन्न उपयोग के कारण अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है मा0 गु0 परता खाते से खारिज हो। तहसीलदार गौरीगंजको नामान्तर बही व खतौनी मे अमलदरामद हेतु भेजा जाय तथा इसके अनन्तर बनने वाली खतौनियों मे आदेश का अंकन होता रहे उपनिबन्धक गौरीगंज को नि:शुल्क पंजीयन हेतु भेजा जाय। वाद औपचारिकता पत्रावली संचित हो।

(हस्ताक्षर) 10.5.13

दिनांक- 10-5-13

उपजिलाधिकारी,
गौरीगंज- अमेठी ।

सत्य प्रतिलिपि
10-5-13
रीडर
उप जिलाधिकारी,
गौरीगंज, जनपद–अमेठी

प्रतिलिपि
------- उपनिबन्धक गौरीगंज को द्वारा जिला रजिस्ट्रार उ0प्र0 इस आशय से कि धारा 143 ज0वि0अ0 के प्राविधानानुसार इस विलेख0(को नि:शुल्क पंजीयन हेतु तथा धारा 137 कीव्यवस्थानुसार यथालिखित मिसिलबन्द रजिस्टर की क्रमसंख्या व दिनांक अंकित हो।

(हस्ताक्षर)

उपजिलाधिकारी,